न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 24/2021
दायर दिनांक – 06.07.2021
निर्णय दिनांक – 29.10.2021
जीसीएमएस नं0 – 2021/62

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रार्थीया

1. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री अमर सिंह पुत्र श्री शंभु सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1. श्रीमती सुमन कंवर पुत्री भंवर सिंह
   1/2. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह
   1/3. श्री दीपू सिह पुत्र अमर सिंह
   1/4. श्री उछव कंवर पत्नी अमर सिंह
2. श्री किशोर सिंह पुत्र शंभु सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–
   2/1. श्रीमती जस्सू पत्नी किशोर सिंह
   2/2. श्री दशरथ सिंह पुत्र किशोर सिंह
   2/3. श्री भवानी सिंह पुत्र किशोर सिंह
   2/4. श्री रतन सिंह पुत्र किशोर सिंह
3. श्री प्रहलाद सिंह पुत्र शंभु सिंह
4. श्रीमती फूम कंवर पुत्री शंभु सिंह
5. श्रीमती मोहन कंवर पुत्री शंभु सिंह
6. श्रीमती रसाल कंवर पत्नी शंभु सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री राकेश अरोड़ा, अधि0, प्रार्थीया
2. राज्य सरकार तहसीलदार पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:45:13 IST
Reason: SelfAttested

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 1365, 1366, 1362, 1363, 1364, 1347, 1376, 1377, 1378, 1350/1669, 1346/1701, 1346/1702, 1367/1703 कुल किता 13 कुल रकबा 15.45 हैक्टेयर में राजस्व अभिलेख सम्वत् 2041 के अनुसार पूर्व विक्रेता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के स्थान पर प्रार्थीया का नाम दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं. 1/1 लगायत 1/4 व 2/1 के खिलाफ दिनांक 06.08.2021 को व अप्रार्थी सं. 2/2 लगायत 6 के खिलाफ दिनाकं 18.10.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2039 दिनांक 05.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "राजस्व ग्राम लेसवा के वर्किंग खाता संख्या 19 के वर्किंग खसरा नम्बर 629 मिन रकबा 95–09–00 बीघा पर नामा. संख्या 86 स्वीकृत दिनांक 02.05.1992 द्वारा शम्भूसिंह मूलसिंह पि. पीरूदान सिंह के स्थान पर मु. रसालकंवर बेवा शम्भूसिंह किशोरसिंह अमरसिंह प्रहलादसिंह पि. शम्भूसिंह व मूलसिंह पि. पीरूदान सिंह शेष अंकन बदस्तूर रहा तथा नामा संख्या 91 दिनांक 27.03.99 बेचान द्वारा खसरा नम्बर 629 मि. रकबा 95–09–00 बीघा किस्म बा.3 पर विक्रता मु. रसालकंवर बेवा शम्भू सिंह किशोरसिंह अमरसिंह प्रहलादसिंह पि. शम्भू सिंह राजपूत के बजाय क्रेता दयानन्द पुत्र किशोरीलाल कौम यादव हि. 1/12 अंकन हुआ। अतः वर्किंग जमाबन्दी में ही मूलसिह पि. पीरूदान सिंह मौजूद रहा। केवल शम्भू सिंह की विरासत खुलकर बेचान हुआ। राजस्व ग्राम लेसवा के वर्किंग खसरा नम्बर 629 मि. 95–09–00 बीघा किस्म बा.3 का मिलान क्षेत्रफल संवत 2065–84 के अनुसार खसरा नम्बरान 1365 रकबा 0.45, 1366 रकबा 2.32, 1362 रकबा 1.87, 1363 रकबा .0.80, 1364 रकबा 0.97, 1347 रकबा 2.36, 1376 रकबा 0.93, 1372 रकबा 0.81, 1378 रकबा 3.56, 1350/1669 रकबा 0.34, 1346/1701 रकबा 0.16, 1346/1702 रकबा 0.72, 1367/1703 रकबा 0.10 है। तथा आधार जमाबनी संवत् 2065 से 84 के खाता संख्या 116 में मुलसिंह पि. पीरूदान सिंह भंवरकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि. 1/12 दर्ज है। नामा. सं. 313 दिनांक 20.09.04 द्वारा दयानन्द पुत्र किशोरीलाल यादव के स्थान पर भंवरकवर पत्नी इन्द्रसिंह का अंकन स्वीकार हुआ। आधार जमाबन्दी 2065–84 के खाता संख्या 116 में नामा संख्या 728 विरासत द्वारा मूलसिंह पि. पीरूदान जाति राजपूत के स्थान पर रसाल कंवर पत्नी ... सिंह अमरसिंह प्रहलादसिंह पि. शम्भूसिंह फूमकंवर मोहनकंवर पुत्री शम्भूसिंह व ज... कंवर पत्नी किशोरसिंह दशरथसिंह रतनसिंह भवानीसिंह पुत्र किशोरसिंह का अंकन स्वीकार हुआ। वर्किंग जमाबन्दी अनुसार व नामा. सं. 86 अनुसार मुलसिंह पि. पीरूदान सिंह जाति राजपूत का अंकन था तथा आधार जमाबन्दी 2065–84 में भी अंकन होने से पुनः विरासत का नामा. सं. 728 दर्ज है। आधार जमाबन्दी 2065–84 में मूलसिंह पि. पीरूदान सिह की विरासत नामा. सं. 728 से अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:45:13 IST
Reason: SelfAttested

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

प्रार्थीया भंवरकंवर पत्नी इन्द्रसिह द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु आवेदन किया गया किन्तु उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत किया जाना उचित नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 1365, 1366, 1362, 1363, 1364, 1347, 1376, 1377, 1378, 1350/1669, 1346/1701, 1346/1702, 1367/1703 कुल किता 13 कुल रकबा 15.45 हैक्टेयर में प्रार्थीया भंवरकंवर पत्नी इन्द्रसिह द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु आवेदन किया गया किन्तु उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत किया जाना उचित नहीं है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 1365, 1366, 1362, 1363, 1364, 1347, 1376, 1377, 1378, 1350/1669, 1346/1701, 1346/1702, 1367/1703 कुल किता 13 कुल रकबा 15.45 हैक्टेयर में प्रार्थीया भंवरकंवर पत्नी इन्द्रसिह द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु आवेदन किया गया किन्तु उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 अन्तर्गत किया जाना उचित नहीं होने के कारण प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:45:13 IST
Reason: SelfAttested

29.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)